अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2015

का. आ.1477(अ).- जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (।) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 11.5.1999 की अधिसूचना सं. का. आ. 308(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "लोक कल्याण समिति, 11-ए विष्णु दिगम्बर मार्ग- राउज एवेन्यू, नई दिल्ली-110002" द्वारा " राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में आँखों की देखभाल का कार्यक्रम" की परियोजना को निर्धारण वर्ष 2000-01 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 3 पर विनिर्दिष्ट किया था, और जिसे बाद में दिनांक 13.06.2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 687(अ) के तहत निर्धारण वर्ष 2003-04 को प्रारंभ होने वाली दो वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया ; जिसे दिनांक 02.02.2005, की अधिसूचना सं. का. आ. 136 (अ0) द्वारा वित्तीय निर्धारण वर्ष 2004-05 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ; जिसे दिनांक 16 जुलाई, 2007 की अधिसूचना सं. का. आ. 1148 (अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ; जिसे बाद में दिनांक 17.05.2010 की अधिसूचना सं. का. आ.1139 (अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि अर्थात वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के लिए और बढ़ा दिया गया था और जिसे दिनांक 17.10.2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 3126 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि अर्थात् वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के लिए और बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि परियोजना लागत को 10.11 करोड़ रुपए से 21.00 करोड़ रुपए तक संशोधित किए जाने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना या स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए परियोजना लागत को 10.11 करोड़ रूपये से 21.00 करोड़ रूपये तक संशोधित करने के लिए सिफारिश की है।

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा दिनांक 11 मई, 1999 की उक्त अधिसूचना सं. का. आ. 308 (अ) को निम्नलिखित आशय के लिए और संशोधित करती है, नामत:-

उक्त अधिसूचना में धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम राशि से संबंधित क्रम. सं. 3, कालम (4) के सामने सारणी में, '10.11 करोड़ रुपये" अक्षरों, अंकों और शब्दों के लिए "21.00 करोड़ रुपये" अक्षर, अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।'

[सं. 131/2015/फा. सं. वी -27015/4/2015 एस ओ(रा. स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)